।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत भजीट

राजस्व वाद नं० 1/122 तारीख रज्जू 16.09.2020

01– प्रभाती पुत्र श्री गंगल जाति जाट निवासी ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर (मृतक)

1/1– चरणसिंह पुत्र प्रभाती जाति जाट

1/2– करणसिंह पुत्र प्रभाती जाति जाट

1/3– राजेन्द्रसिंह पुत्र प्रभाती जाति जाट

निवासीयान ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर

02– अर्जुनलाल पुत्र गंगल जाति जाट तहसील व जिला अलवर

–वादीगण

बनाम

01– गंगालहरी पुत्र प्रभाती जाति तेली (मृतक)

1/1 रामकिशन पुत्र गंगालहरी जाति तेली (मृतक)

1/1/1 जगदीश पुत्र रामकिशन जाति तेली

1/1/2 धर्मेन्द्र पुत्र रामकिशन जाति तेली

1/1/3 रामचन्दर पुत्र रामकिशन जाति तेली

1/1/4 रामजति पुत्र रामकिशन जाति तेली

1/1/5 रामपाल पुत्र रामकिशन जाति तेली

1/1/6 सुनीता पत्नी रामकिशन जाति तेली निवासियान ग्राम भजीट

02– रामजीलाल पुत्र प्रमाती जाति तेली निवासियान ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर स्वयं व वारिसान काबिज जायदाद अपने भ्राता भौरेलाल मृतक पुत्र प्रभाती जाति तेली निवासी ग्राम भजीट

03– प्यारे लाल पुत्र जंगली जाति जाट निवासी भजीट तहसील व जिला अलवर (मृतक)

3/1– महेश पुत्र प्यारेलाल जाति जाट

3/2– धारासिंह पुत्र प्यारेलाल जाति जाट निवासियान भजीट तहसील व जिला अलवर

04– मु० चमेली मीणा पत्नी चिरंजी लाल मीणा निवासी रूपबास तहसील व जिला अलवर

05– तहसीलदार, अलवर (भूमिधारी)

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 व 89 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955
दावा बाबत इस्तकराररहक व दुरूस्ती इन्द्राज

—: निर्णय :— दिनांक: 16.11.2021

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 402 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम भजीट तहसील अलवर में स्थित है। जिस आराजी से लगता हुआ तर्फ दक्षिण को रास्ता है जिस रास्ते का साबिक खसरा नम्बर 379 है ओर वादीगण की आराजी उपरोक्त व रास्ते के मध्य कोई आराजीयात नही है। सैटलमेन्ट सम्वत 2051—2070 जिसमें नया ट्रेस मौके के विपरीत व पूर्व ट्रेस सम्वत 2020 के विपरीत बनाया गया है। वादीगण की आराजी साबिक खसरा नम्बर 402 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 685 व 686 बनाये गये है और खसरा नम्बर 379 रास्ता के तर्फ उत्तर बेजा हाल खसरा नम्बर 648, 649 व 650 दिखाया है ओर रास्ता को चौडा कर दिया है। जबकि हाल खसरा नम्बर 251 रास्ता है। इस प्रकार हम वादीगण की उक्त आराजी खसरा नम्बर 685 व 686 के तर्फ दक्षिण कोई आराजी पूर्व में नही थी ओर रास्ता ही था जो खसरा नम्बर 651 है परन्तु हाल ट्रेस में हाल खसरा नम्बर 648, 649 व 650 का कुल रकबा हम वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 685 व 686 की ओर तर्फ दक्षिण से यानि रास्ते के उत्तर में बढाते हुए नया ट्रेस सम्वत 2051—2070 में बेजा बना दिया गया जो ट्रेस गलत है। जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है। इस ट्रेस के कायम रहने से हम वादीगण के हकूक कब्जेकाश्त खातेदारी जायल होते है। इसलिए दावा बाबत दुरूस्ती ट्रेस सैटलमेन्ट हाल सम्वत 2051—2070 की दुरूस्ती करना लाजिम आया है। और मुताबिक साबिक ट्रेस सम्वत 2020 के ही हम वादीगण मौजूदा ट्रेस दुरूस्त कराना चाहते है।

प्रतिवादीगण के साबिक आराजी खसरा नम्बर 376 मिन व 377 मिन है जिनके हाल खसरा नम्बर 649 650 इस रास्ते के उत्तर में व हम वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 685 व 686 के दक्षिण में दर्शाये गये है जबकि हम वादीगण की आराजी साबिका खसरा नम्बर 685 व 686 के दक्षिण में रास्ता है ओर कोई खसरा नम्बर नही है। परन्तु बेजा इस ओर यानि रास्ते की तर्फ उत्तर चौडा करते हुए बीच में सैटलमेन्ट हाल के तहत साबिक खसरा नम्बर 376 मिन का रकबा 8 ऐयर व 377/2 मिन का रकबा 1 ऐयर यानि कुल 9 ऐयर रकबा दर्शाया गया है जिससे हम वादीगण के हकूल जायल होते है। हम वादीगण अपने कथन के ताईद में साबिका ट्रेस सम्वत 2020 व हाल ट्रेस सम्वत

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

2051–2070 की तथा पर्चा मिलान क्षेत्रफल की सत्य प्रतिलिपि पेश कर रहे है। प्रतिवादीगण को दुरूस्ती साबिका ट्रेस सम्वत 2020 के मुताबिक कराने के बाबत कहा गया तो टाल बाल करते रहे और दिनांक 08.09.2002 को दुरूस्ती कराने से इंकार कर दिया। वादीगण ने यह वाद बाबत डिक्री व दुरूस्त किये जाने इन्द्राज विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर, निवेदन किया है साबिक आराजी खसरा नम्बर 402 रकवा 4 बीघा 2 बिस्वा तर्फ दक्षिण रास्ता साबिक खसरा नम्बर 379 है हम वादीगण की आराजी उपरोक्त रास्ते मध्य कोई आराजीयात नही है पूर्व सैटलमेन्ट सम्वत 2020 में नक्शा ट्रेस सही प्रकार बनाया हुआ है, परन्तु सैटलमेन्ट बन्दोबस्त हाल 2051 में हम वादीगण की आराजी हाल खसरा नम्बर 685 व 686 के तर्फ दक्षिण में कोई आराजीयात नही होने पर भी हाल खसरा नम्बर 648, 649 व 650 बेजा रास्ते के उत्तर में जो सैटलमेन्ट 2051–2070 में दर्शाये गये है वह गलत है खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है जिन्हे कलमजन करवाकर ट्रेस सम्वत 2020 के मुताबिक ट्रेस 2051–2070 में दुरूस्त कराने का वादीगण ने निवेदन किया है। वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 रूल 17 पेश कर निवेदन किया है कि दावे के शीर्षक में आराजी खसरा नम्बर 402 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा के स्थान पर साबिक खसरा नम्बर 402 रकवा 3 बीघा 19 बिस्वा व इसी प्रकार जिम्मन नम्बर 1 व 2 में व जिम्मन नम्बर 8 व इस्तदुआ के सब जिम्मन नम्बर 1 जहां जहां भी खसरा नम्बर 402 रकवा 4 बीघा 2 बिस्वा दर्ज है उसके स्थान पर खसरा नम्बर 402 रकवा 3 बीघा दर्ज किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से श्री एन.आर. चौधरी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प भजीट में पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष को सुना। पक्षकारान ने जाहिर किया कि वादी प्रभाती व प्रतिवादी संख्या–1 गंगालहरी, प्रतिवादी संख्या–3 प्यारेलाल फोत हो चुके है, जिनके वारिसान का संशोधित टाईटल पेश किया। कैम्प भजीट में पक्षकारान ने हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा पेश किया, पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत, भजीट एवं श्री भवानी सिंह पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, भजीट द्वारा की गई। राजीनामा में अंकित किया है कि पक्षकारान के मध्य इस प्रकार से राजीनामा हो गया है कि वादी संख्या–1 के वारिसान व वादी संख्या–2 (राजीनामा में दर्ज पक्षकार संख्या–1) की खातेदारी की आराजी साबिक खसरा नम्बर 402 जिसके हाल खसरा नम्बर 685 व 686 वाके ग्राम भजीट तहसील अलवर में स्थित है जो रास्ता के तर्फ उत्तर दिशा में स्थित है। प्रतिवादी संख्या–1 एवं 4 (राजीनामा में दर्ज पक्षकार संख्या–2) की खातेदारी की साबिक आराजी खसरा नम्बर 376 जिसका हाल खसरा नम्बर 635 वाके ग्राम भजीट

उपखण्ड अधिकारी

तहसील व जिला अलवर में स्थित है जो रास्ता के तर्फ दक्षिण में स्थित है। प्रतिवादी संख्या–3 (राजीनामा में दर्ज पक्षकार संख्या–3) की खातेदारी साविक आराजी खसरा नम्बर 377/2 हाल खसरा नम्बर 636 से 639 तक वाके ग्राम भजीट तहसील व जिला अलवर में स्थित है जो रास्ता के तर्फ दक्षिण में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 649 व 650 जो रास्ता के तर्फ उत्तर में स्थित है को रास्ता के तरफ दक्षिण में स्थित भूमि में सम्मलित करना तय किया है। आराजी खसरा नम्बर 649 रकबा 0.01 है० को पक्षकार नम्बर–3 की आराजी खसरा नम्बर 636 से 639 में तथा आराजी खसरा नम्बर 650 रकबा 0.08 है० पक्षकार नम्बर–2 की खसरा नम्बर 635 में सम्मलित कर दिया जावे। जिस बावत हम सभी खातेदारन की पूर्ण सहमति है।

राजीनामा पर उभय पक्ष को सुना। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने मुताबिक दस्तावेज राजीनामा, सहमति पेश कर वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

मुताबिक दस्तावेजी राजीनामा बाबत सहमति के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम भजीट तहसील अलवर के रास्ते के उत्तर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 649 रकबा 0.01 है० को रास्ते के दक्षिण में स्थित आराजी खसरा नम्बर 636 से 639 में तथा रास्ते के उत्तर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 650 रकबा 0.08 है० को रास्ते के दक्षिण में स्थित खसरा नम्बर 635 में सम्मलित किया जाता है, तदानुसार हाल राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 कैम्प भजीट में लिखाया जाकर मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
कैम्प – ग्राम पंचायत उमरैण

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्यारे लाल सौंठवाल RAS

उनवान

प्रभाती वगै० बनाम गंगालहरी वगै०

दावा बाबत धारा 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मुकदमा नम्बर :– 1/122/2020
निर्णय दिनांक :– 16.11.2021

वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.11.2021 को अन्तिम निपटारे के लिए कैम्प भजीट में पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि मुताबिक दस्तावेजी राजीनामा बाबत सहमति के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम भजीट तहसील अलवर के रास्ते के उत्तर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 649 रकबा 0.01 है० को रास्ते के दक्षिण में स्थित आराजी खसरा नम्बर 636 से 639 में तथा रास्ते के उत्तर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 650 रकबा 0.08 है० को रास्ते के दक्षिण में स्थित खसरा नम्बर 635 में सम्मलित किया जाता है तदानुसार हाल राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्त कर अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्यारे लाल सौंठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4........ रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामील	रूपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशित की तामील कमिश्नर की फीस	रूपया